



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹26,500/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु०अ०सं०-137/2021 धारा-354,342,506,376(3) भा०द०सं० व 04 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बांधुर खुर्द थाना बिवार जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹26,500/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
अवधनरेश चन्देल



विवेचक-
उ०नि० विजय सिंह



पैरोकार
थाना- बिवार
का० श्रीकान्त राजपूत